

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समृद्ध पञ्च व्यवस्था कुलपति जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही कहा जाते हैं।
किसी अन्य प्राधिकारी के नाम नहीं।
उम्मीदवाल विषय पर वह पूर्ण में पञ्च
व्यवस्था कुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जाते जिससे उत्पत्ति हो।



ग्राम : ग्रामीणी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५५५५

दिनांक: 13/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध नीलकंठ शिक्षा महाविद्यालय, शिष्ट (03412573186) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम वक्ता/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिविषयम 1973 के परिविषयम 27(10) के अन्तर्गत बिन्नाबुसार निरीक्षण तिमिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कर्प्पूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. विवेक जापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिविषयम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोषणा राखि, गोप्तित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनुपरित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिवर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं तेवें आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित करने के अनुरूप महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्बन्ध ट्यूपित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ही कराता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः निरीक्षण करने की अनुगति देता है। यदि महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तथाश्वात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिविषयम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है,

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय अधिकारक पत्राकली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे; निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समृद्ध सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क ट्यूपित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुष्टा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप-
संस्थक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो एक क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे संविधा हो।



ग्रान : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4972

दिनांक: 01/06/11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध नीलकण्ठ शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम दक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अनुर्गत निम्नानुसार सिर्फ़ १४ समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.एन. गोस्यामी, आदार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)

(2) प्रो. विवेक बापट, आदार्य, प्रमाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(3) डॉ. सुकेश कटारे, व्याख्यात, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुबोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घोषणा राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईईएन्स तथा शिक्षण सत्र में नई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉक की विस्तृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। ना: समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने गहरायिता के विरीक्षण विधीयता अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के विरागण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एवं माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्थानं समितिः के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का विरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता नम्बरी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के प्रावधान किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही ग्राहविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बद्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारी होने के तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / टी.ए. / मानवयोग महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

3mm/3
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ ८८ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि संशिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरतुड़ा भवन, मोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Fall
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)